अध्याय IV

भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) तथा विदेशी शराब (एफएल) का मूल्य निर्धारण

अध्याय IV: भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) तथा विदेशी शराब (एफएल) का मूल्य निर्धारण

शराब का मूल्य निर्धारण खपत को निर्धारित करने, आपूर्तिकर्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और आबकारी राजस्व संग्रह को अनुकूलित करने में एक अत्यधिक संवेदनशील और प्रमुख निर्धारक है। अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का निर्धारण आबकारी विभाग द्वारा थोक लाइसेंसधारी से प्रारंभिक लागत इनपुट के आधार पर किया जाता है और बाद में लाभ मार्जिन के लिए भत्ता निर्धारित करते समय निश्चित प्रतिशत के आधार पर आबकारी शुल्क और वैट को जोड़ा जाता है। यह पाया गया कि सरकार ने ईडीपी/ईबीपी की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए लागत विवरण नहीं मांगे थे।

4.1 परिचय

वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए आबकारी नीतियों के अनुसार आईएमएफएल के मूल्य निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली **चार्ट 4.1** में दी गई है। आईएमएफएल के मूल्य निर्धारण में प्राथमिक परिवर्तनीय कारक इसका एक्स-डिस्टिलरी मूल्य (ईडीपी)/एक्स-ब्रेवरीज मूल्य (ईबीपी) है।लाभ मार्जिन/शुल्क/कर आदि को ईडीपी/ईबीपी के *प्रतिशत* के रूप में अनुमत किया जाता है/लगाया जाता है।

चार्ट 4.1: आईएमएफएल के लागत घटक

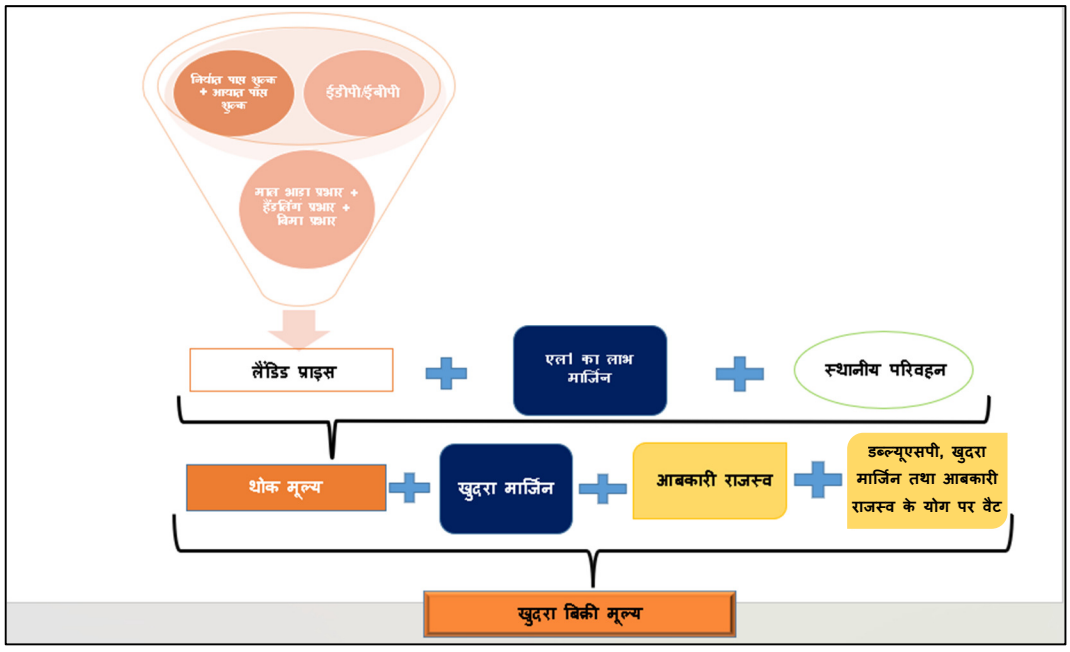

विदेशी शराब (एफएल) के संबंध में, **चार्ट 4.2** में दर्शाई गई मूल्य निर्धारण पद्धति थोड़ी भिन्न है। आईएमएफएल पर जहां डिस्टिलरी स्थित राज्य द्वारा निर्यात शुल्क लिया जाता है, और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा आयात शुल्क लिया जाता है, जबकि विदेशी शराब पर भारत सरकार द्वारा सीमा शुल्क लगाया जाता है।

चार्ट 4.2: विदेशी शराब के लागत घटक

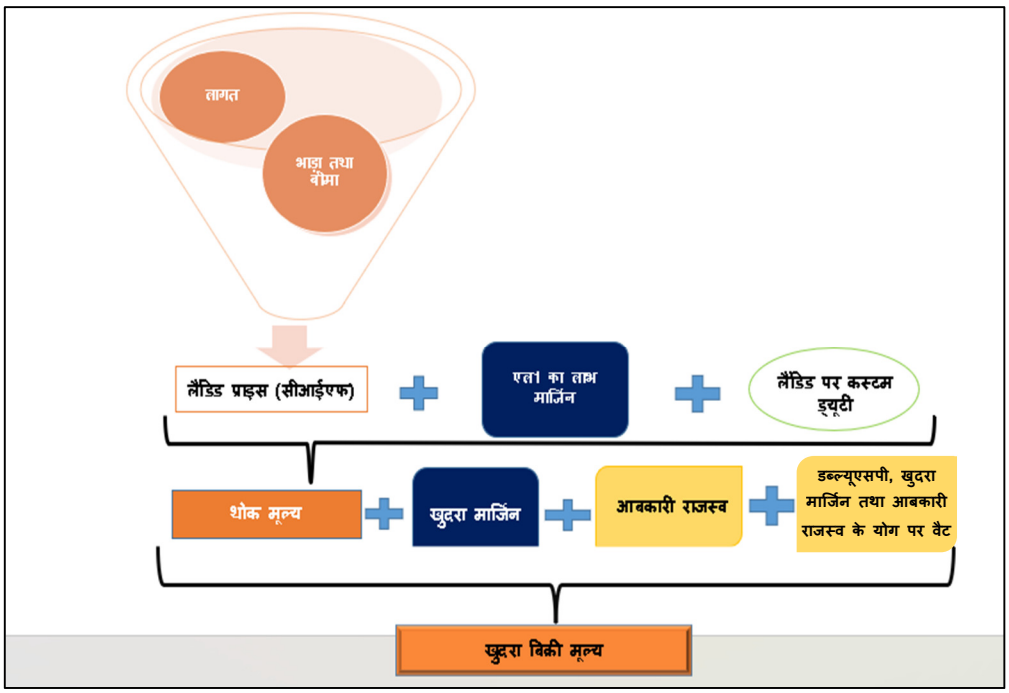

आबकारी विभाग द्वारा आईएमएफएल की कीमतों के विनियमन से संबंधित अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों को देखा:

4.2 आबकारी विभाग द्वारा आईएमएफएल की ईडीपी/ईबीपी को विनियमित नहीं किया गया

एल1 लाइसेंसधारी का लाभ मार्जिन आबकारी विभाग द्वारा अलग से प्रदान किया जाता है। इस प्रकार घोषित ईडीपी/ईबीपी वास्तविक लागत घटकों तथा अन्य मार्जिनों पर आधारित होना चाहिए तथा इसे लाइसेंसधारी के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हालांकि एल1 लाइसेंसधारी रा.रा.क्षे.दि.स. की आबकारी नीतियों के अनुसार अपने विवेक से ईडीपी/ईबीपी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र था।

सरकार ने जवाब दिया कि एल1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए स्वीकृत नियमों एवं शर्तों में लागत मानदंड के उपयोग का उल्लेख नहीं था। यह भी उल्लेख किया गया था कि नई आबकारी नीति में, ईडीपी को पूरे भारत में किसी भी राज्य में अनुमत न्यूनतम

ईडीपी के आधार पर घोषित किया जाएगा और इस संबंध में लाइसेंसधारियों से एक हलफनामा मांगा जाएगा।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि ईडीपी की अवधारणा अपरिभाषित और अस्पष्ट है। मूल्य निर्धारण के आधार के रूप में ईडीपी के उपयोग से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा बाद के पैराग्राफों में की गई है।

4.2.1 ईडीपी/ईबीपी की तर्कसंगतता सुनिश्चित नहीं की गयी

आरंभ में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ईडीपी/ईबीपी में वृद्धि से आबकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। हालांकि ईडीपी में वृद्धि एमआरपी को प्रभावित करती है जिससे बिक्री में कमी का जोखिम भी होता है जिसके परिणामस्वरूप आबकारी राजस्व की हानि हो सकती है। हालांकि चूंकि सरकार ने ईडीपी/ईबीपी की तर्कसंगतता को निश्चित करने के लिए लागत विवरण नहीं मांगे, बढ़े हुए ईडीपी/ईबीपी में छिपे लाभ से एल 1 लाइसेंसधारी को मुनाफा मिलने का जोखिम था।

लेखापरीक्षा ने 2017-21 की अवधि के लिए नमूना-जांच किए गए 11 लाइसेंसधारियों के ब्रांडों के ईडीपी/ईबीपी का विश्लेषण किया। इस अवधि के दौरान जिन ब्रांडों की ईडीपी में वृद्धि हुई थी उनमें से अधिकांश मामलों में आबकारी राजस्व में कमी आई। यह देखा गया कि इन सभी मामलों में आबकारी राजस्व में शुद्ध प्रभाव ₹ 165 करोड़ की कमी थी जहाँ ईडीपी में वृद्धि की गई थी। विवरण **अनुलग्नक VI** में दिए गए हैं।

ईडीपी घोषित करने की विवेकाधीन शक्ति से पड़ोसी राज्यों में कीमतों में भिन्नता हो सकती है जिससे तस्करी को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

सरकार ने जवाब दिया कि एक निश्चित एमआरपी सीमा से अधिक के ब्रांड अपना ईडीपी घोषित करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मात्रा के मामले में तीन सबसे ज्यादा बिकने वाली व्हिस्की मुफ्त ईडीपी वाली हैं, यह सुझाव देते हुए कि प्रतिबंधित ईडीपी के कारण कम एमआरपी शराब की लोकप्रियता को निर्धारित नहीं करती है। इसने आगे उल्लेख किया कि सभी ब्रांडों के लिए एक समान न्यूनतम ईडीपी तय करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति में बदलाव किया गया है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि किसी ब्रांड की लोकप्रियता का केवल उसकी कीमत से संबंध नहीं हो सकता है। किसी ब्रांड की बिक्री कम से कम कुछ सीमा तक मूल्य

परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है जो स्वयं ईडीपी से प्राप्त होती है। इस प्रकार, ईडीपी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बन जाता है जिसे प्रभावी ढंग से विनियमित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 4.1: एक्स-डिस्टिलरी मूल्य को सभी लागत घटकों के साथ परिभाषित किया जाना चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या इसमें लाभ का कोई घटक शामिल है। साथ ही विवेकाधीन ईडीपी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

4.2.2 दिल्ली में अन्य राज्यों की तुलना में उच्च ईडीपी/ईबीपी का निर्धारण

वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए आबकारी नीतियों के अनुसार एल1 लाइसेंसधारी को ₹ 400 तक एमआरपी वाले व्हिस्की/वाइन, ₹ 250 तक एमआरपी वाले रम/जिन/ वोदका/ब्रांडी और ₹ 100 तक एमआरपी वाली (दिल्ली में एमआरपी) बीयर के लिए दिल्ली में न्यूनतम ईडीपी/ईबीपी रखने की आवश्यकता है। जबकि उनके पास इस सीमा से अधिक एमआरपी वाले ब्रांडों के ईडीपी/ईबीपी निश्चित करने की स्वतंत्रता थी।

लेखापरीक्षा ने सीमा से अधिक एमआरपी वाले ब्रांडों के विवेकाधीन ईडीपी/ईबीपी के प्रभाव का विश्लेषण किया। आवश्यक विवरण प्रदान करने वाले तीन एल1 लाइसेंसधारियों के सभी 14 ब्रांडों के ईडीपी/ईबीपी के विस्तृत विश्लेषण पर यह देखा गया कि दिल्ली की तुलना में अन्य राज्यों में सात ब्रांडों का ईडीपी/ईबीपी कम था।

तालिका-4.1: एल1 लाइसेंसधारियों को अतिरिक्त लाभ

साल	ब्रांड	एल1 लाइसेंसधारी	दिल्ली में ईडीपी	न्यूनतम ईडीपी (राज्य)	दिल्ली में अतिरिक्त ईडीपी	दिल्ली में बिक्री	लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ
2017-18	रॉयल ग्रीन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की	मैसर्स एडीएस स्पिरिट	1323	1260 (उत्तराखंड)	63	7,03,515	4,43,21,445
	जनरेशन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की	मेसर्स एडीएस स्पिरिट	2969	2689.31 (झारखंड)	279.69	2,135	5,97,138
	ओल्ड हेबिट रम	मैसर्स एम्पायर	899	780 (केरल)	119	95,135	1,13,21,065
	ओल्ड हेबिट वोदका	मैसर्स एम्पायर	1089	902 (केरल)	189	27,005	51,03,945
	ओल्ड हेबिट व्हिस्की	मैसर्स एम्पायर	1327	1125 (केरल)	202	46,551	94,03,302
	कार्ल्सबर्ग एलीफैंट स्ट्रांग सुपर प्रीमियम बीयर (500 एमएल)	मैसर्स मोहन गोल्डवाटर ब्रेवरीज लिमिटेड	724	533 (दमन)	191	73,020	1,39,46,820
	कार्ल्सबर्ग एलीफैंट स्ट्रांग सुपर प्रीमियम बीयर (650 एमएल)	मैसर्स मोहन गोल्डवाटर ब्रेवरीज लिमिटेड	461	419 (दमन)	42	1,61,432	67,80,144

साल	ब्रांड	एल1 लाइसेंसधारी	दिल्ली में ईडीपी	न्यूनतम ईडीपी (राज्य)	दिल्ली में अतिरिक्त ईडीपी	दिल्ली में बिक्री	लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ
2018-19	रॉयल ग्रीन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की	मैसर्स एडीएस स्पिरिट	1323	1305 (गोवा)	18	11,05,225	1,98,94,050
	जनरेशन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की	मेसर्स एडीएस स्पिरिट	2969	2688.96 (यूपी)	280.04	4550	12,74,182
	कार्ल्सबर्ग एलीफैंट स्ट्रांग सुपर प्रीमियम बीयर (500 एमएल)	मैसर्स मोहन गोल्डवाटर ब्रेवरीज लिमिटेड	857	533 (दमन)	324	26901	87,15,924
	कार्ल्सबर्ग एलीफैंट स्ट्रांग सुपर प्रीमियम बीयर (650 एमएल)	मैसर्स मोहन गोल्डवाटर ब्रेवरीज लिमिटेड	525	419 (दमन)	106	75426	79,95,156
2019-20	रॉयल ग्रीन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की	मैसर्स एडीएस स्पिरिट	1518	1305 (गोवा)	213	10,39,194	22,13,48,322
कुल							**35,07,01,493**

इस तंत्र में, एल 1 लाईसेंसधारियों को बढ़े हुए ईडीपी में उनका लाभ देने का जोखिम शामिल था, जिसमें यद्पि आबकारी विभाग द्वारा लाभ मार्जिन के रूप में ईडीपी को अन्यथा पांच *प्रतिशत* पर सीमित कर दिया गया था जबकि ईडीपी/ईबीपी को काफी हद तक अनियमित छोड़ दिया गया था।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि एल1 लाइसेंसधारियों को ₹ 35.07 करोड़ की सीमा तक अतिरिक्त लाभ की राशि दी गई थी।

सरकार ने अपने जवाब में पैरा संख्या 4.2.1 में बताई गई बात को दोहराया।

अनुशंसा 4.2: सरकार को कीमतों को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने और राजस्व को बढ़ाने के लिए अपनी मूल्य निर्धारण नीति की समीक्षा करनी चाहिए।

4.3 विदेशी शराब के लाइसेंसधारियों को विवेकाधीन लाभ मार्जिन

विदेशी शराब के मामले में सरकार ने एक बहुत ही उदार नीति अपनाई क्योंकि एल1एफ लाइसेंसधारी अपने विवेक पर अपने लाभ मार्जिन निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन नमूना जांच किए गए एल1एफ लाइसेंसधारियों का लाभ मार्जिन लैंडेड प्राइस के 44 *प्रतिशत* से 347 *प्रतिशत* के बीच था और 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 वर्षों के दौरान लैंडिड प्राइस पर लाभ मार्जिन के *प्रतिशत* का औसत क्रमशः 255, 243, 169 और 172 *प्रतिशत* था। इसके परिणामस्वरूप आयात की बहुत कम लागत के बावजूद विदेशी शराब के लिए एमआरपी में वृद्धि हुई।

आबकारी नीति में सुधार के उपाय सुझाने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 2020 में गठित रवि धवन समिति द्वारा मूल्य अंतर के कारण पोरस सीमाओं के माध्यम से शराब की आमद को भी उजागर किया गया है। आबकारी नीति और लाइसेंस की आवश्यकता के अनुसार एल1एफ (एफएल लाइसेंसधारियों) को अन्य सभी राज्यों के थोक मूल्य घोषित करने की आवश्यकता है जहां वह शराब की आपूर्ति करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस शर्त का उल्लंघन किया गया था तब भी आबकारी विभाग द्वारा कोई आपत्ति उठायी नहीं गई थी (जैसा कि **पैराग्राफ 3.10** में चर्चा की गई है)।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि विदेशी शराब के लिए थोक मुल्य 2019-20 से पूरे भारत में सबसे कम थोक मूल्य के आधार पर तय किया गया है। आगे यह भी कहा गया कि बाजार गतिशील है और कीमतें नजदीकी राज्यों के मूल्य निर्धारण के अनुसार निर्धारित होती हैं। यह भी उल्लेख किया गया था कि चूंकि एफएल पर आबकारी शुल्क 85 *प्रतिशत* था, इसलिए कीमत में कोई भी वृद्धि केवल उत्पाद शुल्क को बढ़ाने में मदद करेगी। यह भी उल्लेख किया गया था कि चूंकि एफएल की बाजार हिस्सेदारी 2.5 *प्रतिशत* है, इसलिए इसका राजस्व पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्तर में आगे बताया गया कि पिछले तीन वर्षों के आबकारी शुल्क के आंकड़े राजस्व में वृद्धि दर्शाते हैं। आबकारी राजस्व में वृद्धि के संबंध में उत्तर को इस तथ्य से देखा जाना चाहिए कि 2019-20 से 2021-22 तक, आबकारी राजस्व में 8.28 *प्रतिशत* तक वृद्धि हुई जबकि 2016-17 से 2018-19 में आबकारी राजस्व में वृद्धि 18.27 *प्रतिशत* तक थी।

4.4 निष्कर्ष

आईएमएफएल के एक्स-डिस्टिलरी मूल्य का मूल आधार अपरिभाषित था। आबकारी विभाग ने ईडीपी/ईबीपी को बड़े पैमाने पर अनियमित छोड़ते हुए लाभ मार्जिन पांच *प्रतिशत* निर्धारित किया। इससे एल1 लाइसेंसधारियों द्वारा अपना लाभ ईडीपी/ईबीपी में छिपाने का जिखिम था, विशेषकर इसलिए क्योंकि आबकारी विभाग ने लागत विवरण नहीं मांगा था। मूल्य निर्धारण नीति को और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।